


23/07  
21

प्रवावली प्रस्तुत । वकील पक्षकारान उपस्थित ।  
अप्रार्थी संख्या एक द्वारा तामील के पश्चात् 10 माह  
से अधिक समय गुजर जाने के बावजूद एवं कई बार  
अवसर दिए जाने के बावजूद आज दिनांक तक  
जबाब प्रार्थना एवं प्र  त नहीं किया है । आतः  
अप्रार्थी संख्या 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई  
अमल में लाते हुए अप्रार्थी संख्या 1 का जबाब

बन्द किया जाता है एवं न्यायालय द्वारा दिनांक 17.08.2020 को जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला वाद कम्फर्म करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 वाक्यो इस आदेश की अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद पखर्द किया जाता है कि वह प्रार्थी लाभ सिंह इस बैयनामा दिनांक 22.07.2020 द्वारा क्रय की गई चक 12 खीडी तहसील अनुपगढ की मु.न. 22 प.न. 252/396 के किला नं. 13 ता 17 प्रत्येक सालम, किला नं. 21/4 का 0.025 है, किला नं. 25/2 का 0.227 है. तदादी 1.517 हेक्टर कमांड कृषि भूमि को रखन, बैय अथवा अथवा हस्तान्तरित न करें, नही प्रार्थी द्वारा क्रय की गई भूमि के कब्जा कारत सिंचाई युविधा अथवा खड़ी फसल से किसी प्रकार की देखल-दाजी करें। मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाकर रखें। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। फसला सरे इजलारा चुनाया गया।

23/08/20